भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4905
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास नीति

4905. श्री गोडम नागेश:
एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में संबहनीयता सुनिश्चित करते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास नीति में जलवायु अनुकूलन को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ग्रामीण विकास पहलों का लाभ महिलाओं, छोटे किसानों और मूल समुदायों सहित समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे ?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) देश के सभी 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख) में उत्पादकता और क्षेत्र विस्तार में वृद्धि के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) को कार्यान्वित कर रहा है। इस मिशन (एनएफएसएम) के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को बेहतर कृषि प्रक्रियाओं का क्लस्टर स्तर पर प्रदर्शन , फसल प्रणाली संबंधी प्रदर्शन, उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी)/संकर बीजों का वितरण , बेहतर कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण , कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण , पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक , प्रसंस्करण और कटाई के बाद प्रयुक्त होने वाले

उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: -

i. जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाएँ: मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य जल संचयन संरचनाएँ जैसे चेक डैम, तालाब और कुएँ बनाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि होती है। ये पहल विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाती हैं।
ii. जैव-उर्वरकों के लिए आवश्यक सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और कृषि उपज के लिए पक्की भंडारण सुविधाओं सहित फसलोपरांत सुविधाओं के लिए अवसंरचना का निर्माण करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने संबंधी कार्य करना।

कृषि क्षेत्र के विकास के भाग के रूप में , इस मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सतत और जलवायु अनुकूल प्रक्रियाओं जैसे कृषि पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं , स्वास्थ्य, स्वच्छता, पशुओं के लिए खाद्य सामग्री और पशु चारे संबंधी बेहतर पशुधन प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए महिला किसानों (महिला किसानों) को सशक्त बनाती है। इसका उद्देश्य सतत प्रक्रियाओं को अपनाकर समय के साथ महिला किसानों को खेती की लागत कम करने, उपज बढ़ाने में और उपज के विपणन में सुविधा प्रदान करते हुए उन्हे सहायता प्रदान करना है। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय जैसे स्थानीय विशेषज्ञ संस्थान इस संबंध में मिशन की राज्य इकाइयों को लगातार मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास नीतियों में जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मनरेगा योजना के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. भूजल संवर्धन और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं जैसे भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, स्टॉप डैम, चेक डैम और सरकारी या पंचायत भवन में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं , जिसमें पेयजल स्रोतों सहित भूजल के पुनर्भरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा;

ii. वाटरशेड क्षेत्र प्रबंधन कार्य जैसे कंटूर ट्रेंच , सीढ़ीनुमा खेत, कंटूर बांध, बोल्डर चेक, गैबियन संरचनाएं और स्प्रिंग शेड विकास जिसके परिणामस्वरूप वाटरशेड क्षेत्र का व्यापक उपचार होता है;

iii. सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य तथा सिंचाई नहरों एवं नालियों का निर्माण , नवीनीकरण एवं रखरखाव;

iv. सिंचाई टैंकों और अन्य जल निकायों से गाद निकालने और पुराने सीढ़ीनुमा कुओं या बावलियों के संरक्षण सहित पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण;

v. सार्वजनिक भूमि पर भूमि सुधार कार्य।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में राज्य-विशिष्ट आवास डिजाइन शामिल हैं और स्थानीय सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है , जिससे लागत और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो रहे हैं। यह यथासंभव स्थानीय संस्कृति और भू-जलवायु स्थितियों (बहुस्तरीय-खतरों सहित) के लिए उपयुक्त हरित डिजाइन और प्रौद्योगिकियों को अपनाने , स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग करने , कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और आवासों को आरामदायक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पीएमएवाई-जी की कार्यान्वयन रूपरेखा के अनुसार, राज्य सरकारों को आवास निर्माण में हरित प्रद्योगिकी प्रयोग करने के लिए पहल के अनुसार विभिन्न ग्रामीण आवास प्रकारों का उपयोग करके CO_2 उत्सर्जन और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग को कम करने के लिए उपयुक्त सामग्री और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, मंत्रालय ने जलवायु-अनुकूल ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कई पहल की हैं। मंत्रालय नई सामग्रियों/अपशिष्ट सामग्रियों/स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देता है। मंत्रालय पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण में हरित/नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में एक नया प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज़ लाया है। इन प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशा-निर्देशों और देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) प्राकृतिक संसाधनों को बचाने , निर्माण की गति बढ़ाने और स्थानीय कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों को सीखने और इनके प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्यशालाएं , प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्तर पर इनका प्रदर्शन करती है। नई प्रौद्योगिकी पहलों पर विजन दस्तावेज पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों/सामग्री के उपयोग को बढ़ाने का निर्देश देता है। तदनुसार, राज्यों को नई/हरित

प्रौद्योगिकियों/सामग्री का उपयोग करके कम से कम 50% लंबाई प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, महिला किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जनवरी 2025 तक, इस मिशन के अंतर्गत देश भर में 4.40 करोड़ महिला किसानों को कृषि पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को अपनाने और 3 लाख महिला किसानों को भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रक्रियाओं को अपनाने के माध्यम से जैविक खेती में शामिल किया है। प्राकृतिक खेती के प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के अलावा , महिला किसान परिवारों के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर 70,000 कृषि सखी (सामुदायिक संसाधन व्यक्ति) को प्रमाणित किया गया है। डीएवाई-एनआरएलएम समावेशी कृषि और गैर-कृषि आजीविका मॉडल को बढ़ावा देकर सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण विकास पहलों का लाभ महिलाओं सहित सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे। उत्पादक समूहों , एकीकृत कृषि समूहों, उप-क्षेत्र दृष्टिकोण और गैर-कृषि उद्यमों के माध्यम से, मिशन आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशन और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देता है। ये पहल सतत आय के अवसर पैदा करती हैं, ग्रामीण गरीबी को कम करती हैं और आर्थिक विकास में महिलाओं के नेतृत्व को सुदृढ़ करती हैं।

वाटरशेड विकास का मुख्य उद्देश्य संसाधन संरक्षण , संसाधन सृजन और संसाधन उपयोग है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से , भूमि क्षरण की चिंताओं को दूर करने , उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करता है। यह वाटरशेड भूमि का पुनरुद्धार करता है, जिससे क्षरित मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार होता है और भूजल स्तर में सुधार होता है , सतही अपवाह में कमी आती है, मिट्टी के कटाव और जलाशयों में अवसादन में कमी आती है। स्प्रिंग्स रिजुविनेशन बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने की किसानों की क्षमता में संवर्धन के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करता है और वाटरशेड समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करता है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा समाज के कमजोर वर्गों तक लाभ पहुंचाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। मनरेगा के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. मनरेगा योजना में अनुसूचित जाति (एससी) , अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं सहित हाशिए पर मौजूद समुदायों को रोजगार प्रदान करने को प्राथमिकता

दी जाती है। इन समूहों को ग्रामीण रोजगार के अवसरों से लाभान्वित करने के लिए योजना के तहत काम दिए जाने में इन्हे प्राथमिकता दी जाती है।

ii. यह योजना सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएँ हों, और कई मामलों में, यह अनुपात इस लक्ष्य से अधिक है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता है , और श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ क्षेत्रों में बाल देखभाल की व्यवस्था मौजूद हैं।

iii. मनरेगा योजना भूमि सुधार, सिंचाई और जल संरक्षण जैसी कार्यविधियों के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करता है , जिससे कृषि उत्पादकता और स्थिरता में वृद्धि करके उन्हें सीधे लाभ होता है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं::

i. लक्ष्य का 60% अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए निर्धारित किया जाना है।

ii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के मद्देनजर , राज्य जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करें कि राज्य स्तर पर 5% लाभार्थी दिव्यांगजन हों।

iii. विधवा/अविवाहित/अपने जीवन साथी से अलग हो चुके व्यक्ति के मामले को छोड़कर, आवास का आवंटन पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाता है। यह योजना राज्य को इसे केवल महिला के नाम पर आवंटित करने का विकल्प चुनने की भी अनुमति देती है।

iv. महिला लाभार्थियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनआरएलएम से मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उन्हें अपनी घरेलू आय बढ़ाने के लिए आजीविका के अवसर मिल सकें।

पीएमजीएसवाई ने ग्रामीण लोगों , खासकर महिला किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक बदलाव भी लाए है। निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i. नई सड़कों ने बच्चों , विशेषकर बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालय स्तर से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान किए हैं।

ii. पीएमजीएसवाई सड़कों ने लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाया है। महिलाएं प्रमुख लाभार्थी रही हैं, अधिकांश प्रसव सरकारी अस्पतालों में हुए हैं।

iii. वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और यह उनकी बाजार पहुंच में परिलक्षित होता है।

iv. पीएमजीएसवाई सड़कों ने रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं , जैसे कि आस-पास के शहरी क्षेत्रों में रोजगार, जहां लोग रोजाना आवागमन कर सकते हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को पक्के आवास का प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पहलों में से एक है। इसका लक्ष्य पीएमएवाई-जी के साथ मिलकर 4.90 लाख पीवीटीजी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्के आवासों के निर्माण के लिए 2.39 लाख रुपये प्रति आवास की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें पक्के आवासों के निर्माण के लिए 2 लाख रुपये के साथ स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के साथ अभिसरण करके शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये और मनरेगा के तहत 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी (लगभग 27,000 रुपये) शामिल है। पीएमजीएसवाई के तहत , 5 वर्ष (2023-24 से 2027-28) की अवधि के लिए सड़क लंबाई के निर्माण का लक्ष्य 8,000 किलोमीटर है।

इसके अलावा, एक या अधिक वंचित मानदंड वाले सभी परिवार , एसईसीसी 2011 के अनुसार स्वतः ही शामिल है जो डीएवाई एनआरएलएम लक्षित समूह का गठन करते है। इसके अलावा, 'गरीबों की भागीदारीपूर्ण पहचान ' (पीआईपी) प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित और ग्राम सभा द्वारा मान्य किए गए पात्र परिवारों को भी स्वयं सहायता समूह में शामिल किया गया है। इसके अलावा, डीएवाई एनआरएलएम का उद्देश्य अपनी समावेशन रणनीति के माध्यम से पूर्णतः लाभ प्रदान करना है ताकि सबसे कमजोर और वंचित आबादी को इसके दायरे में लाया जा सके। दिव्यांगजनों , वृद्धों, ट्रांसजेंडरों और सबसे गरीब लोगों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) लाभार्थियों की श्रेणी को ध्यान में रखे बिना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हमारे समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले और एनएसएपी दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले वृद्ध , विधवा और दिव्यांग जनों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ऐसे परिवार के मुख्य आय अर्जक की मृत्यु होने की स्थिति में, शोक संतप्त परिवार को एकमुश्त सहायता दी जाती है।

*****